581वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 जून 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 581वीं बैठक दिनांक 24/06/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
8. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. **<u>Case No 8581/2021 Shri Sanjay Patidar S/o Shri Shobharam Patidar, Anjad, Dist. Barwani, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (38800 cum per annum) (Khasra No. 24), Village - Palasia, Tehsil - Anjad, Dist. Barwani (MP) EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow U.P.</u>**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 24), Village - Palasia, Tehsil - Anjad, Dist. Barwani (MP) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 506वीं दिनांक 09/08/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 24/06/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री संजय पाटीदार और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान क्षेत्र में 07 बबूल के पेड़ लगे है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनमें से 05 पेड काटे जायेगे तथा उनके एवज में 50 अतिरिक्त पेड लगाये जायेगे । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया

गया कि खदान क्षेत्र उत्तर भाग से 140 मीटर दूरी पर नहर एवं सड़क है । आवंटित खनन् क्षेत्र के पश्चिम भाग खुदा हुआ दिख रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि बगल का खदान मालिक द्वारा भूलवश हमारे एरिया में उत्खनन् किया गया है तथा हमने इसको अपने सरफेस मेप पर दिखाया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान वृक्षारोपण कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी. में शामिल किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा । प्रकरण के गूगल इमेज के आवलोकन के दौरान समिति ने यह पाया कि ग्राम पलासिया का यह क्षेत्र खनन् के क्लास्टर के रूप में विकसित हो रहा है तथा शुरूआत से ही इस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिये ।

वर्तमान गूगल इमेज के अनुसार 01.00 किलोमीटर के दायरे में 05 से 06 खदाने कार्यरत दिख रही है किंतु गूगल इमेज के अनुसार इन खदानों द्वारा कोई वृक्षारोपण कार्य किया जाना परिलक्षित नही हो रहा है जिस कारण आस–पास के इलाके पर आने वाले समय में बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। अतः समिति के अनुशंसा है कि सिया के द्वारा एक परामर्शी /सलाह पत्र संबंधित प्राधिकारियों को लिखा जाये ताकि वे इस बात का संज्ञान ले कि क्या इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं । इसी प्रकार संबंधित जिलाध्याक्ष / खनिज अधिकारी पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त खदानों के ई.एम.पी. (जेसे पानी का छिड़काव, वृक्षारोपण – बेरियर जोन तथा मिनरल इवेक्वेशन रोड के दोनो ओर, पक्का इवेक्वेशन रोड़, ओ.बी. मेनेजमेंट यादि) तथा सी.ई.आर. में उल्लेखित प्रावधानो के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण व सामाजिक विकास के कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करवाये ताकि इस क्षेत्र में आने वाले समय में प्रदूषण की स्थिति निर्मित न हो।प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः इंवेट्री प्रस्तुत की जाये।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 24/06/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन– 38,800 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू 10.61 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 04.45 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.20 लाख :–

क्रं.	जन सुनवाई आधारित सीईआर गतिविधियां	राशि रू. में
1	स्थानीय ग्रामीणों के लिए वर्ष में दो बार स्वास्थ्य शिविरों की व्यवस्था की जायेगी।	10,000
2	ग्राम पलासिया के स्कूल में 2000ल टैंक, व सोलर लाइट (01)	20,000
3.	''उज्जवला योजना'' के तरह आसपास के गांवों में रहने वाले खदान श्रमिकों को सोलर कुकर /एलपीजी गैस सिलेंडर का वितरण (10 नंबर)	30,000
4.	ग्राम पलासिया के ऑगनवाड़ी केन्द्र में खाना बनाने के लिये, खाना परोसने के लिये और बच्चों के खाना खाने के लिये बर्तन व 1 वर्ष तक पोषण आहार का वितरण किया जाएगा।	60,000
5.	स्थानीय ग्रामीणों के लिए वर्ष में दो बार स्वास्थ्य शिविरों की व्यवस्था की जायेगी।	10,000
(आगामी एक वर्ष तक) योग		1,20,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2450 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख–रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगाः

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमैर, चिरौल, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	1070
2	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम उचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल अन्य स्थानीय प्रजातियॉ,	160
3	पलासिया ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, आम, अमरूद, कटहल अन्य फलदार प्रजातियां।	1200
4	पलासिया गांव के विद्यालय में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, गुलमोहर।	20
		कुल	2450

2. Case No 9234/2022 Shri Anubhav Agrawal. Lease Owner R/o AT & Post, Village - Jaitwara, Dist. Satna, MP - 485221 Prior Environment Clearance for Laterite Mine in an area of 7.025 ha. (26611 Tonne per annum) (Khasra No. 4/1 Ka), Village - Kathara Kothar, Tehsil - Majhgawan, Dist. Satna (MP) EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow U.P.

This is case of Laterite Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 4/1 Ka), Village - Kathara Kothar, Tehsil - Majhgawan, Dist. Satna (MP) 7.025 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 24/06/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1133 दिनांक 02/06/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 12.392 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पूर्वी दिशा में के अंदर से तथा उत्तर दिशा से लगा हुआ पक्का रोड़ निकल रहा है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। प्रश्नाधीन खदान के अंदर पश्चिम दिशा में मकान हैं, अतः इनका वर्तमान उपयोग, वास्तविक स्थिति तथा उत्खनन् के दौरान इनकी उपयोगिता के विवरण के साथ ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान उत्तरी भाग खुदा हुआ है जहॉ पर गूगल इमेज अनुसार खनन् कार्य किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बाताया कि उनके द्वारा वर्ष 2006–2007 एवं वर्ष 2007–08 में अज्ञानतावश बिना पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के खनन् कार्य किया गया है ।

After deliberation, Committee considering the recent GoI, MoEF & CC, OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 recommends that case may be dealt as per the provisions laid down in this notification and the project may granted Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan on assessment of

ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as a independent chapter in the EIA report by the accredited consultant and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.

Committee recommends SEIAA to initiate action under section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986 through competent authority as per step 2 of MoEF&CC OM dated 07/07/21.

Committee also recommended to issue additional TOR as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

1. Project description, its importance and the benefits.
2. In the north side a pucca road is crossing the lease PP shall left 50 meters as non-mining area from the pucca road accordingly surface map shall be prepared in the EIA report.
3. Some habitation has observed in the western side of the lease PP shall discussed Land acquisition status or R & R details (if any) .
4. Inventory of all existing trees with their girth and height details and if any tree is to be uprooted, then its proper management plan it should be clearly addressed in EIA.
5. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, Google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.
6. Proposal for rain water harvesting and river rejuvenation shall be submitted through an expert considering aquifer, percolation tank, recharge shaft and sub-surface dyke with EIA report.
7. Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.
8. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
9. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PM2.5, SO_2, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one month (except monsoon

period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 6 locations in the study area of 10 Km.

10. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
11. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.).
12. Source of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
13. Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area.
14. Management of solid waste and the construction & demolition waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Rules, 2016.
15. Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project.
16. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.
17. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.

3. Case No 9236/2022 Shri Anubhav Agrawal Lease Owner R/o AT & Post, Village - Jaitwara, Dist. Satna, MP - 485221 Prior Environment Clearance for Laterite Mine in an area of 6.761 ha. (32384 Tonne per annum) (Khasra No.839 (P)), Village - Karigohi, Tehsil - Majhgawan, Dist. Satna (MP) EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow U.P.

This is case of Laterite Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No.839 (P)), Village - Karigohi, Tehsil - Majhgawan, Dist. Satna (MP) 6.761 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 24/06/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार

सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1135 दिनांक 02/06/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 (सदृश्य 4.946 हे.) एवं (मुख्य खनिज 9.061 हे.) अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 20.768 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पूर्वी दिशा में के अंदर से तथा उत्तर दिशा से लगा हुआ पक्का रोड़ निकल रहा है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। प्रश्नाधीन खदान के अंदर पश्चिम दिशा में मकान हैं, अतः इनका वर्तमान उपयोग, वास्तविक स्थिति तथा उत्खनन् के दौरान इनकी उपयोगिता के विवरण के साथ ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान पश्चिमी भाग खुदा हुआ है जहॉ पर गूगल इमेज अनुसार खनन् कार्य किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बाताया कि उनके द्वारा वर्ष 2007–08 में अज्ञानतावश बिना पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के खनन् कार्य किया गया है ।

After deliberation, Committee considering the recent GoI, MoEF & CC, OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 recommends that case may be dealt as per the provisions laid down in this notification and the project may granted Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as a independent chapter in the EIA report by the accredited consultant and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.

Committee recommends SEIAA to initiate action under section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986 through competent authority as per step 2 of MoEF&CC OM dated 07/07/21.

Committee also recommended to issue additional TOR as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

1. Project description, its importance and the benefits.
2. In the lease area a road is crossing the lease from the north to south –west side of the lease PP shall permission from the gram panchayat if any diversion is proposed wrt the road accordingly surface map shall be prepared in the EIA report.
3. Some habitation has been observed in the western side of the lease PP shall discussed Land acquisition status or R & R details (if any) .
4. Inventory of all existing trees with their girth and height details and if any tree is to be uprooted, then its proper management plan it should be clearly addressed in EIA.
5. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, Google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.
6. Proposal for rain water harvesting and river rejuvenation shall be submitted through an expert considering aquifer, percolation tank, recharge shaft and sub-surface dyke with EIA report.
7. Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.
8. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
9. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PM2.5, SO_2, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one month (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 5 locations in the study area of 10 Km.
10. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
11. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.).
12. Source of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
13. Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area.
14. Management of solid waste and the construction & demolition waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Rules, 2016.
15. Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project.
16. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an

environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.

17. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.

4. Case No 9239/2022 Director, M/s Pranjal Agrotech Pvt. Ltd, MIG-II, Housing Board Colony, Dist. Katni, MP - 483501, Prior Environment Clearance for Limestone & Dolomite Mine in an area of 2.109 ha. (Limestone – 11,148 Tonne per annum, Dolomite - 60102 Tonne per annum) (Khasra No. 22, 31), Village - Sejha, Tehsil - Badwara, Dist. Katni (MP) EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow U.P.

This is case of Limestone & Dolomite Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site Khasra No.22, 31), Village - Sejha, Tehsil - Badwara, Dist. Katni (MP) 2.109 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 24/06/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई । चूँकि प्रश्नाधीन प्रकरण मुख्य खजिन लाईम स्टोन (लीज एरिया 2.109 हे.) होने के कारण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा में 42 मीटर पर कच्चा रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। प्रश्नाधीन खदान के अंदर 03 शेड विद्यमान हैं, अतः इनका वर्तमान उपयोग, वास्तविक स्थिति तथा उत्खनन् के दौरान इनकी उपयोगिता के विवरण के साथ ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान के पश्चिमी भाग से होकर एक कच्चा रोड़ निकल रहा है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खनन् क्षेत्र में कुछ पिट्स हैं जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बाताया कि उनको

लीज इसी स्थिति में मिली है तथा पूर्व निकाले गये खनिज के विवरण माईन प्लान में दर्ज किये गये है तथा सरफेस मेप पर गड्ढा दिखाया गया है । खदान के दक्षिण दिशा में 540 मीटर पर एक तालाब है तथा उत्तर दिशा में 360 मीटर पर आबादी है, अतः इसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान खदान के पश्चिमी भाग से होकर एक कच्चा रोड़ निकल रहा है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. खदान के दक्षिण दिशा में 540 मीटर पर एक तालाब है तथा उत्तर दिशा में 360 मीटर पर आबादी है, अतः इसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।
4. आवंटित खनन् क्षेत्र में कुछ माइंड आउट पिट दिखा रहे हैं, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह प्रॉस्पेक्टिंग पिट्स है जो काफी पुराने हैं, अतः इस संदर्भ में खनिज अधिकारी का प्रमाण–पत्र ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
5. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व क्रेंशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
6. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
9. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

5. <u>Case No 9240/2022 Shri K. Prabhakar Rao, Authorised Signatory, Bachharwara, Tehsil - Badwara, Dist. Katni, MP Prior Environment Clearance for Dolomite Mine in an area of 5.50 ha. (58607 Tonne per annum) (Khasra No.10, 127, 128, 129), Village - Jamuniya, Tehsil - Badwara, Dist. Katni (MP)</u>

This is case of Dolomite Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No.10, 127, 128, 129), Village - Jamuniya, Tehsil - Badwara, Dist. Katni (MP) 5.50 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

581वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 जून 2022

आज दिनांक 24/06/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई । एकल प्रमाण–पत्र अनुसार स्वीकृत क्षेत्र वन सीमा से 250 मीटर की परिधि के अंदर होने कारण संभागायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 03/03/2017 कार्यवाही विवरण के बिंदु क्रमांक–1 अनुसार बैठक में उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया गया गूगल अर्थ पर आवेदित क्षेत्र का अवलोकन किया गया। बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदित क्षेत्र से वन सीमा की ओर चेनलिंग–फेंसिंग कराया जाकर प्रतिवेदन प्राप्त करने की शर्त पर आवेदित क्षेत्र के संबंध में अनापत्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के बीच में एक पुराना पिट है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बाताया कि उनको लीज इसी स्थिति में मिली है तथा पूर्व निकाले गये खनिज के विवरण माईन प्लान में दर्ज किये गये है तथा सरफेस मेप पर गड्ढा दिखाया गया है । खदान के पूर्व दिशा में 350 मीटर पर आबादी है, अतः इसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. खदान के पूर्व दिशा में 350 मीटर पर आबादी है, अतः इसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।
3. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन क्रेंशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
4. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
5. आवंटित खनन् क्षेत्र के पूर्व दिशा से एक कच्चा रोड़ लीज के अंदर से निकल रहा है, अतः इसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
6. खनन् योजना के को–आर्डिनेट के बिंदु 1, 14, व 15 (जो वन क्षेत्र के समीप प्रतीत हो रहे हैं) की वन विभाग से पुष्टि करायें कि यह वन सीमा से कितनी दूरी पर है ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

9. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

6. Case No 9232/2022 Shri Sambhav Tiwari, Ward No. 02, Civil Line, Nainpur, Dist. Mandla, MP Prior Environment Clearance for Stone & Murrum Quarry in an area of 3.10 ha. (87504 Cum per annum) (Khasra No. 19, 24), Village - Manegaon, Tehsil - Jabalpur, Dist. Jabalpur (MP)

This is case of Stone & Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 19, 24), Village - Manegaon, Tehsil - Jabalpur, Dist. Jabalpur (MP) 3.10 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 24/06/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री जी.के. मिश्रा उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 9789 दिनांक 20/12/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 09 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 13.876 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। वन मण्डलाधिकारी के पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन कक्ष क्रमांक आर.एफ.–173 लगभग 18 मीटर दूरी पर होने के कारण आवेदक द्वारा आवेदन दिनांक 04/12/20 को आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वन सीमा से 50 मीटर दूरी छोड़कर वन भूमि की ओर चेंनलिंग–फेंसिंग लगाने की शर्त पर अनापत्ति प्रदान किये जाने का सहमति व्यक्त किया है । उक्त आधार पर प्रकरण को समिति के समक्ष पुनः निर्णय लिये जाने हेतु रखा गया, जिसमें उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया गया । आवेदित क्षेत्र से निकटतम् वन भूमि से 50 मीटर की दूरी छोड़ने तथा वन सीमा के ओर चेनलिंग–फेंसिंग लगाये जाने की शर्त पर सर्व सम्मति से अनापत्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पूर्व दिशा में 495 मीटर पर हाईवे है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। प्रश्नाधीन खदान के पूर्वी दिशा में 320 मीटर तथा दक्षिण दिशाा में 460 मीटर पर आबादी/शैक्षणिक संस्थान/प्राथमिक शाला/ऑगनवाडी है, जिसके संरक्षण की योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये । वर्तमान में खदान के एक हिस्से में पानी भरा हुआ है, अतः डी–वाटरिंग प्लॉन ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाये । प्रस्तुतीकरण

के दौरान पाया गया कि खदान बीच से खुदी हुई है, तत्संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह काफी पुरान पिट है, जो गूगल इमेज अनुसार 2006 के पूर्व का है तथा हमें लीज स्थिति में जनवरी, 2021 में स्वीकृत हुई । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. प्रश्नाधीन खदान के पूर्व दिशा में 495 मीटर पर हाईवे है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. प्रश्नाधीन खदान के पूर्वी दिशा में 320 मीटर तथा दक्षिण दिशाा में 460 मीटर पर आबादी/शैक्षणिक संस्थान/प्राथमिक शाला/ऑगनवाडी है, जिसके संरक्षण की योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।
3. वर्तमान में खदान के एक हिस्से में पानी भरा हुआ है, अतः डी–वाटरिंग प्लॉन ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
4. माइन प्लॉन में मेटल स्टोन – 70,003 घनमीटर एवं मुरूम – 17,501 घनमीटर है, दोनों को मिलाकर 87,504 घनमीटर/वर्ष होता है, जबकि फार्म–2 में मेटल स्टोन–87,504 के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति चाही है, इस संदर्भ में स्थिति ई.आई.ए में स्पष्ट करें।
5. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन क्रेंशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
6. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
9. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

7. <u>Case No 9238/2022 M/s Raisingh and Company, Shri Dilip Maskare, Partner, Ward No. 25, Prem Nagar, Dist. Balaghat, MP - 481001, Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.0 ha. (15200 cum per annum) (Khasra No.01 (P)), Village - Benegaon, Tehsil - Kimapur, Dist. Balaghat (MP)</u>

This is case of Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No.01 (P)), Village - Benegaon, Tehsil - Kimapur, Dist. Balaghat (MP) 2.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

581वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 जून 2022

आज दिनांक 24/06/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री जी.के. मिश्रा उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 9789 दिनांक 20/12/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 09 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 13.876 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण दिशा में 50 मीटर पर कच्चा रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ सहित फोटोग्राफ एवं ड्रोन विडियोग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण–पूर्वी दिशा में 270 मीटर पर तालाब तथा दक्षिण दिशा में 110 मीटर पर एक जल रोकने की संरचना है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ सहित फोटोग्राफ एवं ड्रोन विडियोग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण दिशा में 50 मीटर पर कच्चा रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. सरफेस रनऑफ मैनेजेमेंट प्लॉन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
4. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण–पूर्वी दिशा में 270 मीटर पर तालाब तथा दक्षिण दिशा में 110 मीटर पर एक जल रोकने की संरचना है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।
5. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन क्रेशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
6. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
9. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

8. Case No 9235/2022 M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd, Authorized Signatory, Shri Jagdish Singh, E-7, M 708, Arera Colony, Dist. Bhopal, MP, Prior Environment Clearance for Stone, M- Sand, Murrum Quarry in an area of 4.0 ha. (Stone - 140000 Cum per annum, M-sand - 35000 Cum per annum, Murrum - 8800 Cum per annum) (Khasra No. 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478 2479), Village - Kampel, Tehsil - Khudel, Dist. Indore (MP)

This is case of Stone, M- Sand, Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478 2479), Village - Kampel, Tehsil - Khudel, Dist. Indore (MP) 4.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 24/06/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 9789 दिनांक 20/12/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 09 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 13.876 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण दिशा में 150 मीटर पर कच्चा रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। प्रश्नाधीन खदान के उत्तर में 50 मीटर पर प्राकृतिक नाला तथा पूर्व दिशा में 560 मीटर पर नदी है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मॉनिटरिंग कार्य पूर्ण किया जा चुका है । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण दिशा में 150 मीटर पर कच्चा रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. एम–सेंड प्लांट के ले–आउट को सरफेस मेप पर दिखाया जाये तथा एम–सेंड प्लांट में प्रस्तावित तकनीक एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

4. एम–सेंड प्लांट से उत्पन्न होने वाले दूषित जल के शोधन की व्यवस्था तथा उत्पन्न होने वाले सिल्ट के अपवहन का विवरण प्रस्तुत करें ।
5. एम–सेंड प्लांट के परिप्रेक्ष्य में पॉवर रिक्यारमेंट तथा वाटर डिमांड की पुनरीक्षित गणना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।
6. प्रश्नाधीन खदान के उत्तर में 50 मीटर पर प्राकृतिक नाला तथा पूर्व दिशा में 560 मीटर पर नदी है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।
7. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन क्रेंशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
8. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
9. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
11. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

9. <u>Case No. - 9241/2022 M/s J.P.Minerals Industries, Smt. Renu Banshal, Prop., E-8, 9, 10, Industrial Area, Jaderua, Dist. Morena, MP – 476001. Environment Clearance for Cement Grinding Unit , Capacity- 300TPD (Ball Mill 3X100 TPD) at E-8, 9, 10, Industrial Area, Jaderua, Tehsil Joura , Dist. Morena, (MP) . Category: 3(b) Cement Project. Env. Con. – M/s. RSP Green Development & Laboratories Pvt. Ltd. Shibpur, Howrah (W.B.).</u>

This is a case of Cement Grinding Unit Capacity- 300TPD (Ball Mill 3X100 TPD). The project is covered as item 3(b) in the schedule of EIA notification as standalone grinding unit and hence requires EC from SEIAA before commencement of any activity at site. The application was on-line forwarded by SEIAA to SEAC for scoping so as to determine TOR to carry out EIA and prepare EMP for the project.

The case was presented by Env. Consultant Shri Pinaki Roy & Shri Amit Poddar from M/s. RSP Green Development & Laboratories Pvt. Ltd. Shibpur, Howrah (W.B.) and shri Dharmendra Raj on behalf of PP, wherein Env. Consultant stated that proposed Cement Grinding Unit is as per EIA notification 14th September 2006 and subsequent amendments our project is coming under Category ‘B’ and EC Violation Project.

Salient Features of the Project :

M/s J.P. MINERALS INDUSTRIES is a proprietorship firm. The project site is located in the industrial area of Jaderua under the district of Morena. The Plant originally designated as 100% PPC manufacturing unit. Looking at the increasing trend of PPC production, M/s J.P. MINERALS INDUSTRIES, are planned to setup cement grinding unit 300 TPD (Ball Mill–3X100 TPD).

Proposed Cement Grinding Unit-M/s J.P. MINERALS INDUSTRIES, As per EIA notification 14th September 2006 and subsequent amendments our project is coming under Category 'B' and EC Violation Project.

Salient Features of the Project

1.	Name of the project	Cement Grinding/Blending unit
2.	S. No. in the schedule	(Schedule (3b) Category B)
3.	Proposed capacity And Area	Capacity 300 TPD and Area 0.32 Acre
4.	Location	E-8,9,10, Industrial Area, Jaderua, Dist-Morena, Madhya Pradesh, Pin-476001
5.	Name of applicant	M/s J.P. Minerals Industries Vill/Po-Jaderua , Dist-Morena, Madha Prodesh, Pin-476001
6.	Water demand	Water Consumption 4 M3/Day
7.	Power Requirement	Total electric load : 500 KVA from MPMKVVC, Bhopal, MP? D.G Set One No : 20 KVA
8.	Project Cost	327 Lac
9.	Manpower Required	12 person employment in operation phase directly or indirectly.

Materials	**Source**	**Quantity Ton of PPC**	**Quantity TPD**

Clinker	OCL Rajganj / Dala Cement Factory	0.55	165
Gypsum	Gypsum Mine in Rajasthan	0.05	15
Fly Ash	Nearby Power Plant	0.40	120

Production (Grinding) :PPC Cement

60000TPA Raw Material Required:
Clinker – 49500 TPA (55%)
Gypsum – 4500 TPA (5%)
Fly –36000 TPA (40 %)

Process:

1. Raw Material unloading & storage.
2.Raw Material extraction by conveyor.
3. Process Grinding System Consisting of :
a) Cement Mill Bins.
b) Cement Mill Feeding.
d) Product Collection.
4. Mill de-dusting with bag filters.
5. Cement Packing, loading, dispatch.

Configuration of Plant:

The Plant was originally designated as 100% PPC manufacturing unit. Looking at the increasing trend of PPC production, M/S J.P. Minerals Industries are planned to setup cement grinding unit 300 TPD (Ball Mill –3X100 TPD).

After deliberation, Committee considering the recent GoI, MoEF & CC, OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 recommends that case may be dealt as per the provisions laid down in this notification and the project may granted Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as a independent chapter in the EIA report by the accredited consultant and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.

Committee recommends SEIAA to initiate action under section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986 through competent authority as per step 2 of MoEF&CC OM dated 07/07/21.

Committee also recommended to issue additional TOR as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

1. Status report of constriction activities taken place so far shall be discussed in the EIA report with complete chronology.
2. Water requirement/demand for the project shall be re-assessed and discussed in the EIA report.
3. Variety of clinker proposed to be procured and their chemical analysis with MSDS shall be discussed in the EIA report.
4. In EIA study the mode of transportation, storage of fly ash, all raw materials and products should be discussed along with their impacts.
5. How to ensure zero CO2 emission shall be discuss in the EIA report.
6. Furnish details of CO_2 emission & quantification from different sources as DG sets and their management plan w.r.t. carbon foot print.
7. Complete plant lay-out with provision of additional exit gate in the proposed project, at the time of emergency shall be discussed in the EIA report.
8. Measures proposed for noise pollution control shall be discussed in the EIA report.
9. Comprehensive plantation scheme shall be submitted with EIA report.
10. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PN2.5, SO2, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one month (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 5 locations in the study area of 10 Km.
11. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
12. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.).
13. Worst case scenario w.r.t. waste water and hazardous waste should be submitted.
14. VOC should be monitored in the AAQ.
15. Industry has to comply with zero discharge for which necessary details should be provided in the EIA report.
16. Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project.

17. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.
18. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
19. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.

10. Case No 9229/2022 Shri Gopal Raghuwanshi S/o Shri Narayan Raghuwanshi, Village - Bardari, Tehsil - Pithampur, Dist. Dhar, MP Prior Environment Clearance for Stone and Murrum Quarry in an area of 1.60 ha. (25000 Cum per annum) (Khasra No. 165/1), Village - Kalyansikhedi, Tehsil - Pithampur, Dist. Dhar (MP)

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 165/1), Village - Kalyansikhedi, Tehsil - Pithampur, Dist. Dhar (MP) 1.60 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 24/06/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 9789 दिनांक 20/12/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 09 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 13.876 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पूर्व दिशा में 25 मीटर पर कच्चा रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ सहित ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान के पूर्व दिशा में 25 मीटर पर कच्चा रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन क्रेंशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
4. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
7. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई. ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

11.<u>Case No 9233/2022 Smt. Rupali Kumawat W/o Shri Kamlesh Kumawat, Janta Colony, Dist. Mandsaur, MP, Prior Environment Clearance for Stone & M-Sand Quarry in an area of 1.30 ha. (Stone - 3600 Cum per annum, M-sand - 20400 Cum per annum) (Khasra No. 3/4), Village - Dodiyameena, Tehsil - Malhargarh, Dist. Mandsaur (MP)</u>

This is case of Stone & M-Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 3/4), Village - Dodiyameena, Tehsil - Malhargarh, Dist. Mandsaur (MP) 1.30 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 24/06/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 9789 दिनांक 20/12/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 09 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 13.876 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पश्चिम दिशा में 250 मीटर पर रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान का अधिकांश भाग खुदा हुआ है जहॉ पर गूगल इमेज अनुसार 2010 से खनन् कार्य किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बाताया कि उनको लीज इसी स्थिति में मिली है तथा पूर्व निकाले गये खनिज के विवरण माईन प्लान में दर्ज किये गये है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के पश्चिम दिशा में 250 मीटर पर रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. एम–सेंड प्लांट के ले–आउट को सरफेस मेप पर दिखाया जाये तथा एम–सेंड प्लांट में प्रस्तावित तकनीक एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. एम–सेंड प्लांट से उत्पन्न होने वाले दूषित जल के शोधन की व्यवस्था तथा उत्पन्न होने वाले सिल्ट के अपवहन का विवरण प्रस्तुत करें ।
4. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन क्रेंशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
5. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
8. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

12. <u>Case No 9242/2022 M/s Bhedaghat Mining, Prop., Smt. Mini Agrawal, 455/2, Jawaharganj Ward, Dist. Jabalpur, MP Prior Environment Clearance for Dolomite Quarry in an area of 1.20 ha. (12004 Tonne per annum) (Khasra No. 29/1, 29/2), Village - Ainthakheda, Tehsil - Jabalpur, Dist. Jabalpur (MP)</u>

This is case of Dolomite Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 29/1, 29/2), Village - Ainthakheda, Tehsil - Jabalpur, Dist. Jabalpur (MP) 1.20 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

581वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 जून 2022

आज दिनांक 24/06/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री जी.के. मिश्रा उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 9789 दिनांक 20/12/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 09 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 13.876 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के बीच से कच्चा रोड़ निकल रहा है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। प्रश्नाधीन खदान उत्तर–पश्चिम दिशा में 250 मीटर पर शेड तथा उत्तर दिशा में 600 मीटर पर बरगी केनाल निकल रही है, जिनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. प्रश्नाधीन खदान के बीच से कच्चा रोड़ निकल रहा है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. प्रश्नाधीन खदान उत्तर–पश्चिम दिशा में 250 मीटर पर शेड तथा उत्तर दिशा में 600 मीटर पर बरगी केनाल निकल रही है, जिनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।
3. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व क्रेंशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
4. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
7. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई. ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

13. Case No 9223/2022 M/s Jirati Murrum Suppliers, Shri Shubhash Jirati & Shri Sadik Khan, situated near Village - Chandawad, Tehsil - Dharmpuri, District - Dhar, MP Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 2.0 ha. (10000 Cum per annum) (Khasra No. 129/1), Village - Chandawad, Tehsil - Dharmpuri, Dist. Dhar (MP)

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 129/1), Village - Chandawad, Tehsil - Dharmpuri, Dist. Dhar (MP) 2.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 24/06/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 468 दिनांक 29/03/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नही है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पश्चिम दिशा में 255 मीटर पर रोड़, पूर्व दिशा में 50 मीटर पर कच्चा रास्ता तथा दक्षिण–पश्चिम दिशा में 545 मीटर पर आबादी है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि बीच में कुछ क्षेत्र खुदा हुआ है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पुराना पिट है, जिसे सरफेस मेप में दिखाया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व दिशा में कच्चा रास्ता न होकर पगडंगडी है तथा प्रकरण मुरूम को होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 24/06/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम – 10,000 मी^{3} प्रति वर्ष।

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.24 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.60 लाख प्रति वर्ष ।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.90 लाख :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
चन्दवाड गांव के प्राथमिक स्वास्थय केंद्र में मेडिकल बेड दिए जायेंगे। 20),000 X 2) तथा स्वास्थय केंद्र में अधिकारी से परामर्श करके चिकित्सीय उपकरण दिया जायेगा (50,000)	90,000
योग	90,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम .... वृक्षों का वृक्षारोपण :

क्रमांक	पौधों का प्रस्तावित स्थान	पौधों के नाम	मात्रा
1	हरित पट्टी (7.50 मीटर बेरियर ज़ोन में तीन लाइनो में किया जायेगा)	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, खमेर, सिस्सू आदि।	500
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड के दोनों ओर 4 फ़ीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि	500
4.	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	1400
		Total	**2400**

14. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – धार (संशोधित).

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 793 दिनांक 20/06/22 के माध्यम से धार जिले की संशोधित (Rivesed)_जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है। उक्त संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, समिति के सदस्यों को दिनांक 20/06/22 को सॉफ्टकापी प्रेषित की गई तथा उस पर चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 581 वीं बैठक दिनांक 24/06/22 में प्रस्तावित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 581 वीं बैठक दिनांक 24/06/22 में धार जिले की

संशोधित रिपोर्ट पर चर्चा की गयी। चर्चा के दौरान खनिज विभाग धार की ओर से श्री मोहन सिंग खतेडीया, खनिज अधिकारी उपस्थित हुये जिसमें पाया गया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट धार के संबंध में इसके पूर्व राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति 573वीं बैठक में जो सेक द्वारा सुझाव दिये गये थे, उनका समावेश पूर्णतः नहीं हुआ है । अभी भी संबंधित अधिसूचना के तालिका में चाही गई जानकारी के अनुसार खनिज रेत हेतु लीजवार '' माइनेबल मिनरल पोटेंशियल '' (घनमीटर में) (60% टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार (लम्बाई ंएव चोड़ाई के साथ) नही दिया गया है जो दिया जाना आवश्यक है। अतएव उपरोक्त जानकारी के अतिरिक्त निम्न जानकारी को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी समाहित किया जाना प्रस्तावित है :

- ✓ बिन्दु क्र0. 1(3) मे रेत खनन के मामले मे लीज की वैद्यता नही दर्शायी गयी है।
- ✓ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे ESZ की कोई भी जानकारी नही दर्शायी जबकि डाइनासोर राष्ट्रीय उद्यान (S.O. 2669 (E) दिनांक 17/08/2017 चूंकि ESZ जिलों का एंव महम्वपूर्ण संवेदनशील घटक है अतएव इसका वर्णन जिसमें विस्तार एंव सीमाएं एंव ESZ मे आ रहे गांवो का नाम का समायोजन होना अनिवार्य है।
- ✓ पेज नम्बर 100 मे खोदु–भरू खदानों मे रेत की उपलब्धता, गणना करने मे उपलब्ध क्षेत्र के विरूद्व काफी कम मात्रा मे परिलक्षित हो रही है।
- ✓ पेज 110 मे रेत की मात्रा गणना करने के समक्ष गहराई नही दर्शायी गयी है।
- ✓ रेत की उपलब्धता पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 मे बतायी गयी तालिका के अनुसार नही बनायी गयी है।
- ✓ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के बिंदु क्रमांक–26 की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोडकर) से संबंधित है में हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी तालिका नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए। साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि देवास जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित श्री मोहन सिंग, प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें। तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

15. <u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – देवास (म.प्र.)</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॅात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र कमांक 814 दिनांक 21/06/22 के माध्यम से देवास जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है। उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 20/06/22 सॉफ्टकापी को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 581 वीं बैठक दिनांक 24/06/22 में प्रस्तावित है।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला– देवास, म.प्र. के पत्र कमांक 1865 दिनांक 16/06/2022 के जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को सिया कार्यालय मे ऑन लाईन जमा कराई गई। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला– देवास, म.प्र. ने पत्र कमांक 1657 दिनांक 23/05/2022 में यह उल्लेख किया गया है, कि जिला पोर्टल पर इसे 21 दिवस हेतु अपलोड कर प्राप्त दावें/आपत्तियों हेतु रखा गया। उक्त पत्र में यह भी उल्लेख है, कि सस्टेनेबल सेंड माइनिंग मैनेजमेन्ट गाईडलाईन 2016 एंव इन्फोर्समेन्ट मॉनिटरिंग फॉर सेंड माइनिंग गाईडलाईन 2020 के तहत् जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गठित समिति के द्वारा तैयार कर प्रस्तुत की है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 581 वीं बैठक दिनांक 24/06/22 में देवास जिले की सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई जिस दौरान खनिज विभाग की ओर माईनिंग अधिकारी उपस्थित नहीं हुए । समिति ने प्राप्त रिपोर्ट पर चर्चा की तथा पाया कि :–

- ✓ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नम्बर 93 में दर्शायी गयी टेबल जिसके अन्तर्गत ''नदियों पर स्थित रेत का विवरण'' दिया गया है मे खनन योग्य खनिज क्षमता का 70% की दर से गणना की गयी है जबकि इसको खनिज क्षमता का 60% की दर से गणना की जानी है। साथ ही जो खनन क्षमता की 70% की दर से गणना की गयी है, वह गणना भी नर्मदा नदी के प्रकरण के मात्रा से अधिक दर्शायी गयी है, जबकि यह मात्रा निश्चित रूप से कम होगी। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार नही बनाई गईतथा कई जानकारियां वांछित तालिका में नही दी गई है जिस कारण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपूर्ण है।
- ✓ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे स्थित इको सेंसिटिव जोन की कोई भी जानकारी नही दी गई जिसमें बताया गया है जबकि खिवनी ईएसजेड जिले मे स्थित है। चूंकि जिले पारिस्थितिक संवेदी जोन जिले का एक बहुत की महत्वपूर्ण घटक है। अतएव इसका वर्णन जिसमें नोटिफिकेशन का न0. दिनांक एंव विस्तार और सीमायें एंव ई.एस.जेड. मे आ रहे गांवो का नाम का समायोजन होना अपरिहार्य है।
- ✓ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में खनिज रेत हेतु लीजवार '' माइनेबल मिनरल पोटेंशियल '' (घनमीटर में) (60% टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार (लम्बाई एव चोड़ाई के साथ) नही दिया गया है जो दिया जाना आवश्यक है।

- ✓ बिन्दु क्र0. 26 जी जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोडकर) से संबंधित है मे हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नही दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए। साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए।
- ✓ इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो ।
- ✓ प्रायः देखा जा रहा है जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में रेत निर्माण होने की भू–वैज्ञानिक विधि की सामान्य जानकारी दी जाती है जो सभी जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो में एक जैसी ही है जिसके स्थान पर जिलें में मिलने वाली नदी के अपस्ट्रीम क्षेत्र में मिलने वाली चट्टानों का (रॉक फार्मेशन) का समावेश होना चाहिए ।
- ✓ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित नक्शों में जो भी फीचर्स दिखाया जाता है उसको संबंधित नक्शें के लीजेंड में भी दिखाया जाना चाहिए एवं नक्शों का स्केल ऐसा होना चाहिए कि समस्त फीचर स्पष्ट दिख सके । यदि ए–4 साईज में नक्शें नहीं आ पा रहे हो तो ए–3 साईज में नक्शों को बनाना चाहिए।
- ✓ समिति ने संबंधित जिलों के खनिज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि नदियों में किसी स्थान पर मछलियों / कछुआ /घड़ियाल / मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशीन क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन् क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है ।
- ✓ समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खनिज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारिण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि देवास जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें। तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

16. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – सिंगरौली (म.प्र.).

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॅात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 817 दिनांक 22/06/22 के माध्यम से सिंगरौली जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है। उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट दिनांक 21/06/22 को, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के पत्र क्रमांक 1731 दिनांक 01/06/22 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला सिंगरौली सीधे सेक को प्राप्त हुई थी, जिसकी प्रतिलिपि सिया को दी गई थी। कार्यालय (खनिज शाखा) जिला – सिंगरौली म.प्र. ने पत्र क्रमांक 1731 दिनांक 01/06/22 के माध्यम से अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सुझाव आमंत्रित करने बावत् उसे जिले के पोर्टल पर 21 दिवस के लिए अपलोड किया गया था । उक्त अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होने पर जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरांत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021–2022 प्रस्तुत की गई है ।

उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 20/06/2022 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 581 वीं बैठक दिनांक 24/06/22 में प्रस्तावित की गई । राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 581 वीं बैठक दिनांक 24/06/22 में सिंगरौली जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई । चर्चा के दौरान खनिज विभाग, सिंगरौली की ओर से श्री ए.के. राय, प्रभारी खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :–

- बिन्दु क्र0. 19 (पेज –80) मे ESZ से संबंधित जो जानकारी तालिका क्र0. 18 मे प्रदाय की गई है इसमे बगडरा वन्य प्राणि अभ्यारण्य की जानकारी संबंधित अधिसूचना के क्र0. 3028 (अ) दिनांक 13/09/2017 के अनुसार अद्यतन कर लेंवे।
- तालिका 20 एंव 21 मे प्री–पोस्ट मानसून रेत की मात्रा की गणना दर्शायी गयी है परन्तु रेत की मात्रा की गणना करते समय गहराई नही बतायी गयी है।
- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे लीजवार ''माइनेवल मिनरल पोटेंशियल'' (घनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार (लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ) नहीं दिया गया है जो दिया जाना आवश्यक है ।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार बिंदु क्रमांक–26 की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोडकर) से संबंधित है में हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए। साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कितना

वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए ।

- इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो ।
- प्रायः देखा जा रहा है जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में रेत निर्माण होने की भू–वैज्ञानिक विधि की सामान्य जानकारी दी जाती है जो सभी जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो में एक जैसी ही है जिसके स्थान पर जिलें में मिलने वाली नदी के अपस्ट्रीम क्षेत्र में मिलने वाली चट्टानों का (रॉक फार्मेशन) का समावेश होना चाहिए ।
- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित नक्शों में जो भी फीचर्स दिखाया जाता है उसको संबंधित नक्शें के लीजेंड में भी दिखाया जाना चाहिए एवं नक्शों का स्केल ऐसा होना चाहिए कि समस्त फीचर स्पष्ट दिख सके । यदि ए–4 साईज में नक्शें नहीं आ पा रहे हो तो ए–3 साईज में नक्शों को बनाना चाहिए।
- समिति ने संबंधित जिलों के खनिज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि नदियों में किसी स्थान पर मछलियों / कछुआ /घड़ियाल / मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशीन क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन् क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है ।
- समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खनिज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारिण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि सिंगरौली जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित श्री ए.के. राय, प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

17. <u>Case No. - 5557/2017 Shri Jaikishan Jakhodiya, M/s Jakhodia Minerals, Jakhodia Group 184, Samta Colony, Raipur, (C.G.) Prior Environment Clearance for Capacity Expansion in Ore Beneficiation Plant of M/s Jakhodia Minerals, at Khasra No. 75 & 85 Village - Dhamki, Tehsil - Sihora, Distt. - Jabalpur, (M.P.) Existing Capacity – 19,800 TPA, Proposed Input – 3,00,000 TPA Output – 2,10,000 TPA. _ Cat. 2(b) Mineral Benification Projects. EIA Consultant: M/s. Creative Enviro Services, Bhopal</u>

This is an Ore beneficiation project comprising beneficiation of Iron, Mn and Bauxite Ore. The project is covered under the provisions of EIA notification as item no. 2 (b), hence requires prior EC from SEIAA. It was reported that, the industry is operational with existing production capacity of 19,800 TPA and proposes an expansion in the production capacity up to – 3,00,000 TPA. Application submitted by the PP was forwarded by SEIAA to SEAC for scoping so as to determine TOR to carry out EIA and prepare EMP.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 306वीं दिनांक 27/01/2018 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण समिति की 569वीं बैठक दिनांक 06/05/22 को प्रस्तुत हुआ जिसमें निम्न अनुशंसा की गईः–

PP has submitted the EIA report on line which was forwarded through SEIAA and the same was scheduled in the agenda.

The EIA was presented by the PP Shri Ashutosh Jhakodia and Env. Consultant Shri Umesh Mishra from M/s. Creative Enviro Services, Bhopal wherein PP submitted that they have obtained MoEF&CC compliance report of earlier EC conditions wherein no non compliances are reported. PP further submitted that they have obtained CTO from MPPCB for existing production of 19,800 MT/A of iron ore benefication. PP further submitted that now expansion in beneficiation activity is proposed from 19,800 TPA to 3,00,000 TPA for Iron Ore, Manganese Ore and Bauxite Ore through physical benefication only and input volume shall be meet through their captive mines. Total land in possession is 1.40 ha of Khasara No. 75 which has been kept for beneficiation activity. The beneficiation plant covers 750 sq. mt. Green belt has been developed with 350 within the premises. Further 0.54 ha of Khasara No. 85 is also in their possession near to existing owned land. This shall be used for tailing disposal and management. During presentation, PP submitted that this piece of land will be used for making bricks of tailing residues. Committee suggested that on

remaining part of land after (leaving area for brick plant) shall be used for thick green belt development. Committee further suggested that PP shall also strengthen peripheral plantation and plantation along the transportion route and revised proposal may be submitted with commitment that entire plantation will be completed within 02 years. During discussion it was observed that details of existing machinery (plant configration) and proposed machinery for proposed expansion is not clear hence same shall be submitted. PP informed during presentation that 200 KLD water is required which is fulfilled from their mine through pipeline. It was observed that a borewell is in existance within the plant for which committee suggested that this borewell shall only be used for drinking purpose. For disposal of tailings PP submitted that at present they are disposing these tailings mostly through brick kilns and some part through cement plants. Committee recommends that after expansion, the volume of tailings will be enhanced and thus same shall be disposed through cement plants, brick making and lastly through brick kilns manufactures. Committee also recommends that PP shall explore the possibility of making useful materials from this waste such as paved blocks for which a scientific study shall be carriedout from any institute of national repute within a year and their findings shall be submitted with six monthly compliance reports. PP submitted that issues raised during public hearing were for employment, pollution due to dust and mud generation, water discharging from the plant, water crisis in the nearby places etc. PP submitted that for dust suppression they have installed sprinklers on transportation road which causes mud generation some times and have addressed all the issues in the proposed EMP & CER with budgetary allocations including budget for pucca road. Committee during deliberations suggested that the stock pile which is used in feeding to hopper for benefication shall always have 15-20% moisture to avoid fugitive emission of dust and stored stock pile must have minimum 15% moisture. PP submitted that "Zero Liquid Discharge" shall be maintained. After presentation and discussion PP was asked to submit response on following:

1. *Revised plantation scheme as suggested by committee alongwith proposal for strengthening of peripheral plantation with commitment that entire plantation within the premisis and site surrounding will be completed within initial 02 years.*
2. *Revised EMP and CER as suggested by committee.*
3. *Copy of lechate analysis report.*
4. *Details of existing machinery (plant configration) and machinery proposed for expansion shall be submitted.*
5. *Commitment of PP that tailings shall be disposed through cements plants, brick making and pavor blocks.*
6. *Commitment of PP that all internal roads and transportation roads will be made pucca.*

PP vide their letter dated 06.07.2021 submitted query reply which was placed before the committee and the same found satisfactory. The EIA/EMP and other submissions made by the PP earlier were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC for Capacity Expansion in Ore Beneficiation Plant for Iron, Mn and Bauxite of M/s Jakhodia Minerals, at Khasra No. 75 & 85 Village - Dhamki, Tehsil - Sihora, Distt. - Jabalpur, (M.P.) Existing Capacity – 19,800 TPA to Proposed Input – 3,00,000 TPA Output – 2,10,000 TPA. Cat. 2(b) Mineral Benification Projects subject to the following special conditions:

प्रकरण सिया की 726वीं बैठक दिनांक 25/05/22 को प्रस्तुत हुआ जिसमें निम्न अनुशंसा की गईः–

"Today the case was considered and discussed by the authority. The case was recommended by SEAC for "PP vide their letter dated 06/07/21 submited query reply which as placed before the committee and the same found satisfactory. The EIA/EMP and other submission made by the PP earlier were found to be satisfactory and acceptable hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC for Capacity Expansion in Ore Benefication Plant for Iron, Mn and Bauxite of M/s. Jakhodia Minerals Khasra No. 75 & 85 Village - Dhamki, Tehsil - Sihora, Distt. - Jabalpur, (M.P.) Existing Capacity – 19,800 TPA, Proposed Input – 3,00,000 TPA Output – 2,10,000 TPA.

- *It is noted that the letter dated 06/7/21 mentioned in recommendation is not available on Parivesh Portal.*
- *SEAC recommendation the case for Capacity Expansin in Ore Benefication Plant for Iron, Mn and Bauzite of M/s. Jakhodia Minerals, however PP has applied only for expansion of Iron Ore benefication in Form-2 respectively.*

In context of above it is decided to refer the case back to SEAC for clarification and it needed revised form-I querries reply should be submitted by PP through ADS on Parivesh Protal

प्रकरण दिनांक 16/6/22 को समिति की 578वीं बैठक में रखा गया जिसमें समिति ने यह अनुशंसा की थी कि सिया से प्राप्त निर्देशानुसार परियोजना प्रस्तावक को जानकारी ऑन लाईन परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करने बावत् निर्देशित किया जाये । परियेाजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर जानकारी दिनांक 21/6/22 को अपलोड की गई । परियोजना प्रस्तावक ने ऑनलाईन जानकारी के माध्यम से अवगत कराया है कि जो पत्र दिनांक 06/07/21 उल्लेखित है वह लिपिकीय त्रृटि है, अतः पत्र दिनांक 06/07/21 के स्थान पर 06/05/22 पढ़ा जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक ने फार्म–1 में जानकारी ऑनलाईन प्रस्तुत कर दी है । इस प्रकरण में समिति ने पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अपनी अनुशंसा 569वीं बैठक दिनांक 06/05/22 के माध्यम से सिया को प्रेषित कर दी है, अतः समिति ने निर्णय लिया कि उन्हीं अनुशंसाओं को मान्य करते हुए प्रकरण परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत जानकारी के साथ सिया को अग्रेषित किया जाये ।

18. Case No 8370/2021 M/s. Hardoul Granite, Prop. Smt. Krishna Yadav W/o Shri Ashok Singh Yadav, 108, Bankers Colony, Thatipur, Dist. Gwalior, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.320 ha. (150005 cum per annum) (Khasra No. 13h), Village - Lakhanpura, Tehsil - Dabra, Dist. Gwalior (MP) EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow U.P.

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 13h), Village - Lakhanpura, Tehsil - Dabra, Dist. Gwalior (MP) 2.320 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 493वीं दिनांक 23/03/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

सेक की 570वी बैठक दिनांक 11/05/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन–लाईन और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह प्रकरण क्षमता विस्तार का है जिसमें पूर्व में 80,000 घनमीटर / वर्ष की क्षमता से 1,50,005 घनमीटर/वर्ष की क्षमता की जाना प्रस्तावित है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया उनके द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूर्व की पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है, जो उनके पत्र क्रमांक 082 दिनांक 15/03/2022 द्वारा जारी किया गया है । जारी किए गए पालन प्रतिवेदन में कोई भी नॉन कम्प्लाइंस नहीं पाई गई । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा यह खदान वर्ष 2021 में पूर्व की लीजधारक से अपने नाम स्थानांतरित कराई गई है तथा उनके द्वारा अभी कोई उत्खनन् कार्य नहीं किया गया है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह भी बताया कि पूर्व के लीजधारक द्वारा बैरियर जोन में समुचित वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है जबकि डिया से प्राप्त पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार 45 वृक्ष प्रति हेक्टेयर (कम से कम 100) लगाये जाने थे, अतः उनके द्वारा लगभग 200 पेड़ों का वृक्षारोपण खनन् क्षेत्र में किया गया है जिसके फोटोग्राफ्स प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न है । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान के पूर्वी क्षेत्र में एक पिट है जिसमें पानी भरा है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह माइंड आऊट पिट है जिसमें से माइन प्लांन के अनुसार लगभग 37,842 घनमीटर पत्थर निकाला जा चुका है तथा पूर्व के खदान मालिक द्वारा वर्ष 2017–18 में उत्खनन् कार्य किया गया है एवं तत्पश्चात् खदान में कार्य बंद है। प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि खदान क्षेत्र के दक्षिण भाग से एक कच्ची रोड़ निकल रही है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तुतीकरण में इस कच्ची रोड़ के संरक्षण हेतु 10 मीटर का सेट–बैक (7.5 मीटर का बैरियर जोन छोड़कर) प्रस्तावित किया गया है तथा खनन् के इस क्षेत्र में हाई डेनसिटी प्लांटेशन किया जाना प्रस्तावित किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान वृक्षारोपण एवं सामाजिक कल्याण के कार्य (जैसे स्कूल में खेल सामग्री, शौचालय हेतु हेण्डपम्प वाटर टैंक, पेय जल की व्यवस्था) किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा । ई.आई.ए. रिपोर्ट में उत्पादन क्षमता टन / वर्ष उल्लेखित है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह टंकण त्रुटि है, हम ई.आई.ए. रिपोर्ट सुधार कर आज प्रस्तुत कर रहे है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ फार्म–2 के बिंदु क्रमांक–10(i) में परियोजना की लागत रू. 30 करोड़ दिखाई गई है, कृपया स्पष्ट करें ।
- ✓ फार्म–2 अनुसार पी.एम.–10 की वैल्यू 96 है, कृपया इसको कम करने के सुझाव प्रस्तावित करें ।
- ✓ फार्म–2 के बिंदु क्रमांक–32(3) के अनुसार खनन् क्षेत्र में 1200 पौधें लगे है, कृपया स्थिति स्पष्ट करें ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 11/05/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन –1,50,005 मी^{3} प्रति वर्ष वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू.13.19 लाख एवं रिक्ररिग 08.63 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.00 लाख :–

क्रं.	सी.ई.आर. मदद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
1.	ग्राम लखनपुरा के प्रथमिक विद्यालय में 01 हैण्ड पंप व 2000 लीटर ओवरहेड टेंक बनाकर शौचालय में पानी की व्यवस्था किया जायेगा तथा उचित जल चैनलाइजेशन सिस्टम के साथ।	70,000
2.	ग्राम लखनपुरा के प्रथमिक विद्यालय में खेदकूद सामग्री का वितरण।	20,000
3.	ग्राम लखनपुरा में मास्क एवं हैंड सेनेटाइजर का वितरण।	10.000

4.	पोर्टेबल ई.सी.जी. मशीन, व्हील चेयर, तथा स्ट्रेचर का वितरण पी.एच. सी. लखनपुरा मे किया जायेगा।	1,00,000
	योग	2,00,000
संबंधित पी.एच.सी. में पदस्थ चिकित्सक के सुझाव अनुसार उपरोक्त इंवेंट्री में परिवर्तन किया जा सकेगा ।		

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4000 वृक्षों का वृक्षारोपण :

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	शीशम, नीम, चिरौल, पीपल, बरगद, खमैर, सीताफल, करंज, अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	2000
2.	लखनपुरा के शासकीय विद्यालय में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, गुलमोहर।	10
3	ग्रामपंचायत लखनपुरा के ग्रामवासियों को वितरण हेतु	आवंला, आम, अमरूद, जामुन, सीताफल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियॉ।	490
4.	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम् ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	1500
		कुल	4000

सिया ने पत्र क्रमांक 702 दिनांक 06/6/22 के माध्यम से नस्ती सेक को वापिस भेजी जिसमें यह उल्लेखित है कि ''सेक की अनुशांसा अनुसार प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को फार्म–2 से संबंधित 05 बिंदु की जानकारी प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया था परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम 03 बिंदुओं की जानकारी परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध नही है । यह भी उल्लेखनीय है कि परियोजना प्रस्तावक से सेक में पुनरीक्षित ई.आई.ए. रिर्पोट ऑफ लाईन प्राप्त की गई है जो कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार नही है । अतः प्राधिकरण ने विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त बिंदुवार जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑन लाईन प्राप्त कर सेक द्वारा कार्यवाही अनुशांसित की जाये।

प्रकरण आज दिनांक समिति के समक्ष रखा गया जिसमें समिति ने यह अनुशंसा की कि सिया से प्राप्त निर्देशानुसार परियोजना प्रस्तावक को जानकारी ऑन लाईन परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करने बावत् निर्देशित किया जाये । परिवेश पोर्टल पर दिनांक 21/6/22 को अपलोड कर दी गई है ।

प्रकरण दिनांक 16/6/22 को समिति की 578वीं बैठक में रखा गया जिसमें समिति ने यह अनुशंसा की थी कि सिया से प्राप्त निर्देशानुसार परियोजना प्रस्तावक को जानकारी ऑन लाईन परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करने बावत् निर्देशित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी परिवेश पोर्टल पर को अपलोड की गई ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक ने वांछित जानकारी ऑनलाईन प्रस्तुत कर दी है । इस प्रकरण में समिति ने पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अपनी अनुशंसा सेक की 570वी बैठक दिनांक 11/05/22 के माध्यम से सिया को प्रेषित कर दी है, अतः समिति ने निर्णय लिया कि उन्हीं अनुशंसाओं को मान्य करते हुए प्रकरण परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत जानकारी के साथ सिया को अग्रेषित किया जाये ।

(ए.ए. मिश्रा) सदस्य सचिव	(डॉ. पी.सी. दुबे) अध्यक्ष

<u>Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:</u>

<u>Annexure- 'A'</u>

<u>Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:</u>

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौघों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– **रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य**

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– **बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुॅआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

<u>Annexure- 'B'</u>
<u>Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*</u>

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    f. Lease owner's Name, Contact details etc.

g. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
h. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
i. Minable Potential of sand mine.
j. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
k. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
    vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
    ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
38. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

    नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊँचाई / गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– **रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य**

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– **बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुॅआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'C'
Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain

a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    l. Lease owner's Name, Contact details etc.
    m. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    n. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    o. Minable Potential of sand mine.
    p. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    q. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊँचाई / गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– **रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य**

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– **बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।

- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.

24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

- ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
- ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
- ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
- ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :

- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
- ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.

- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

35. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊॅचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– **रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य**

क्र.	स्थल	ऊॅचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– **बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुॅआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॅा आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained